

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ****धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 965/2026**

रोहित एवं 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	: शंकर लाल पांडेय
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 14**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक वाद संख्या 215/2019 (राज्य बनाम रोहित एवं अन्य), जो कि आरोप पत्र संख्या 1/2018 दिनांक 31.12.2018 से संबंधित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2018, धारा 323, 325, 504, 427 भारतीय दंड संहिता, थाना बाजार शुकुल, जनपद अमेठी से उत्पन्न हुआ है, की समस्त कार्यवाही दिनांक 29.03.2019 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, कक्ष संख्या 20, सुल्तानपुर द्वारा पारित समन आदेश को निरस्त किया जाए।
3. मामले पर कुछ समय तक बहस करने के पश्चात, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे इस आवेदन को गुण-दोष के आधार पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा अपनी प्रार्थना को केवल इस सीमा तक सीमित रखते हैं कि आवेदकों को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने एवं जमानत प्रार्थना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा इस संबंध में उपयुक्त निर्देश दिए जाएं ताकि उक्त प्रार्थना पत्र का विधि के अनुसार शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता।

6. इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को ही विधि द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में देखा जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (सीआर.) 426; बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (सीआर.) 192; तथा अंततः झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (सीआर.) 283; और परबतभाई अहिर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 2017 एससी 4843 में निर्धारित किया गया है।

7. अतः, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपपत्र को निरस्त करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

8. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने अमरावती एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य, 2004 (57) एएलआर 290 के मामले में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, 2009 (3) एडीजे 322 (एससी) और हुसैन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, (एमएएनयू/एससी/0274/2017) मामलों में जमानत प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु आपराधिक न्यायालयों को विभिन्न निर्देश दिए गये हैं। उपरोक्त निर्णयों का सार बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में, जब किसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर हो, तो जमानत प्रार्थना पत्र का शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए।

हाल ही के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान याचिका (सीआरएल) सं. (एस) 1/2017, (इन रे: आपराधिक मुकदमों में कमियों एवं त्रुटियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने हेतु) बनाम आंध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य में, अपने दिनांक 20.04.2021 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से, न्यायालय ने आपराधिक मामलों की कार्यवाही में पाई जाने वाली सामान्य कमियों को रेखांकित किया है तथा “आपराधिक प्रक्रिया के मसौदा नियम 2021” को अनुमोदित किया है। ये नियम उक्त निर्णय का ही एक हिस्सा है। इन नियमों के अध्याय पांच, नियम सत्रह में यह प्रावधान है कि गैर-जमानती मामलों में जमानत के लिए दिए गए आवेदन का निस्तारण सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तिथि से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदन का निस्तारण इस अवधि में नहीं होता है, तो पीठासीन अधिकारी अपने आदेश में ही इसके कारणों का उल्लेख करेंगे।

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल.) सं. 5191/2021) के प्रकरण में जमानत प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश पहले ही निर्धारित कर दिए हैं, बिना संबंधित न्यायालयों के विवेकाधिकार तथा जमानत के संबंध में लागू विधिक प्रावधानों को सीमित किए। अतः इस न्यायालय द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षित है कि संबंधित न्यायालय पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा चुके आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

9. उपर्युक्त निर्णयों की पृष्ठभूमि में तथा मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से 30 दिनों के भीतर अधीनस्थ न्यायालय के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समक्ष उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसकी जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

10. आज से 30 दिनों की अवधि तक अथवा जब तक आवेदक जमानत के लिए आवेदन नहीं करता, जो भी पहले हो, उक्त मामले में आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 18 मार्च, 2026

गौरा वी/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।